स० अ. 12018/4/2016 - स्था० III

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 29/9/2016

सूचना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस मंत्रालय के मूल्यांकन अधिकारी के पद के भर्ती नियमो को संशोधित कर रहा है । इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

इस सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य अभिकरणों से विचार करने से पूर्व समस्त हितधारकों की टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं । ऐसी कोई भी टिप्पणी दिनांक 01.11.2016 तक अवर सचिव (प्रशा०), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कमरा नं- 330 'सी' , निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110108 को प्रेषित की जा सकती है तथा यांत्रिक प्रति ak.singh@nic.in पर भेजी जा सकती है।

संलग्नक: यथोपरि।

अवधेश कुमार सिंह

(अवधेश कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : (011)23061323

सेवा में,

समस्त संबंधितों को ।

[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड-(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, दिनांक:

जी.एस.आर......... संविधान की धारा 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (मूल्यांकन अधिकारी) भर्ती नियम 1979 के अधिक्रमण में, जहां तक वे मूल्यांकन अधिकारी के पद से संबंधित है, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए तथ्यों या हटाए जाने को छोड़ कर, राष्ट्रपति एतद द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मूल्यांकन अधिकारी के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात

1. लघु शीर्षक तथा आरंभ – (1) इन नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मूल्यांकन अधिकारी भर्ती नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की अपनी तिथि से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर - उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और और उससे सम्बद्ध वेतन स्तर जैसा कि नियमों में संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट है।

3. भर्ती की विधि, आयु सीमा और योग्यता, आदि- उक्त पदों के संबंध में भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यता और अन्य मामले जैसाकि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट है।

4. अपात्रता- कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी के रहते हुए विवाह कियाहो, या

(ख) जिसने, जीवित पति/पत्नी के रहते हुएकिसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, उक्त पद पर भर्ती के लिए पात्र है,

इसके बावजूद कि केन्द्र सरकार, अगर संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पार्टी पर लागू निजी कानून के तहत अनुमत है तथा इस नियम के संचालन से ऐसे व्यक्ति को छोड़ कर जिन्हें ऐसा करने के लिए अन्य आधार है।

5. छूट देने की शक्ति- जहां केन्द्र सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक तथा अनिवार्य है, इसे लिखित में और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसे कारणों के लिए आदेश के द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों से ऐसे व्यक्ति को छूट दे सकती है।

6. वचत- इन नियमों में कुछ भी इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों तथा व्यक्तियों के किसी विशेष श्रेणियों के लिए उपलब्ध होने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा की छूट और अन्य छूटों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद/ गैर चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मूल्यांकन अधिकारी	*04 (2016) * कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अनुसार	सामान्य केन्द्रीय सेवा,समूह 'ख' राजपत्रित, गैर-सचिवालयीय	स्तर 7	चयन
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हरता	क्या पदोन्नत के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हरता लागू होगी	परीविक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की विधि,सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा तथा विविध विधियों द्वारा भरे जाने हेतु पद की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसका गठन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: ग्रेड में 11 वर्ष की सेवा के साथ मूल्यांकन सहायक	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल है: (i) निदेशक (मूल्यांकन)- अध्यक्ष (ii) अवर सचिव (प्रशासन)- सदस्य (iii) अवर सचिव (डब्ल्यूएंडपीजी)-सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेनाआवश्यक नहीं है।

सं0ए.12018/4/2016-स्था.III

(ए.के. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,रिंग रोड, नई दिल्ली